संबंधित पार्टी लेनदेन नीति

(संबंधित पार्टी के लेन-देन की भौतिकता और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने संबंधी नीति)

1. प्रस्तावना

गेल (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल ने नीचे परिभाषित अनुसार संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में संबंधित पार्टी लेनदेन नीति और प्रक्रियाओं को अपनाया है। यह नीति लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के आधार पर कंपनी और उसके संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन को विनियमित करने के लिए है।

2. उद्देश्य:

यह नीति सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम), कंपनी अधिनियम, 2013 और समय-समय पर नियामक ढांचे में जारी संशोधनों के विनियमन 23 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की गई है।

यह नीति कंपनी की अन्य नीतियों/ प्रक्रियाओं/ प्रथाओं/ शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि का पूरक होगी, जिसके लिए निर्दिष्ट तरीके से और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा लेनदेन/ अनुबंध/ व्यवस्था के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यदि कई कानूनों और विनियमों के लागू होने के कारण एक से अधिक आवश्यकताएं हैं, तो प्रयास अनुपालन सिद्धांत पर आधारित होगा जो उच्च शासन मानकों को पूरा करेगा।

3. परिभाषाएं

3.1 **"निष्पक्ष लेनदेन"** का अर्थ दो संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन है जो इस तरह से किया जाता है जैसे कि वे एक-दूसरे से संबंधित नहीं थे, ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) में परिभाषित हितों के बीचे कोई टकराव न हो।

3.2 किसी अन्य कंपनी के संबंध में **"संबद्ध कंपनी"** का अर्थ है ऐसी कंपनी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6) में परिभाषित किया गया है, अर्थात्

ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन जो कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है जिस पर ऐसा प्रभाव है और इसमें संयुक्त उद्यम कंपनी भी शामिल है।

स्पष्टीकरण *– इस खंड के प्रयोजन के लिए,–*

(क) अभिव्यक्ति "महत्वपूर्ण प्रभाव" का अर्थ है कुल मतदान संख्या के कम से कम बीस प्रतिशत का नियंत्रण, या किसी समझौते के तहत व्यावसायिक निर्णयों पर नियंत्रण या भागीदारी;

(ख) "संयुक्त उद्यम" अभिव्यक्ति का अर्थ एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास व्यवस्था की निवल संपत्ति का अधिकार है;'

3.3 **"लेखा-परीक्षा समिति"** का अर्थ है सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 18 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत समय-समय पर गठित बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति।

3.4 **"बोर्ड"** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(10) में परिभाषित बोर्ड से है।

3.5 **"प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक"** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) में परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) से है।

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक;
(ii) कंपनी सचिव;
(iii) पूर्णकालिक निदेशक;
(iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी;
(v) ऐसे अन्य अधिकारी, जो निदेशकों से एक स्तर से अधिक नीचे के स्तर के न हों, जो पूर्णकालिक रोजगार में हों, जिन्हें बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नामित किया गया हो; तथा
(vi) ऐसा अन्य अधिकारी जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

3.6 **"संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए सामग्री संशोधन"** का अर्थ लेनदेन(नों)/ संविदा (संविदाओं)/ व्यवस्था (व्यवस्थाओं) में किसी भी संशोधन या आशोधन से है, जिसका संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में 25% या अधिक के लिए अनुमोदित लेनदेन(नों) के मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रभाव होगा।

बशर्ते कि निम्नलिखित कारणों से आरपीटी के मूल्य में ऐसी वृद्धि पर सामग्री संशोधन के लिए विचार नहीं किया जाएगा:

- सामग्री/ वस्तुओं की दर/मूल्य में परिवर्तन जैसे प्राकृतिक गैस की कीमत में परिवर्तन (फॉर्मूला लिंक्ड/बैक टू बैक/घरेलू गैस मूल्य), पेट्रोरसायन (अंतर्राष्ट्रीय मूल्य समता)
- विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन

- सरकार/ सांविधिक प्राधिकारी आदेश के कारण सामग्री/ वस्तुओं/ सेवाओं की मात्रा/ इकाइयों/ सेवाओं में परिवर्तन।
- संशोधन/ करों, शुल्कों आदि जैसे सांविधिक शुल्क लगाए जाने के कारण परिवर्तन।

3.7 **"सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन"** का अर्थ है सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 23(1) में परिभाषित सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन अर्थात्

'संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन को भौतिक माना जाएगा यदि लेनदेन/ लेनदेनों को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया जाता है, यदि कंपनी के अंतिम लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण, जो भी कम हो, के अनुसार यह एक हजार करोड़ रुपए या कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार के दस प्रतिशत से अधिक है।'

ब्रांड के उपयोग या रॉयल्टी के संबंध में संबंधित पार्टी को किए गए भुगतान से जुड़े लेनदेन को भौतिक माना जाएगा यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया जाता है, जो कंपनी के अंतिम लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार के पांच प्रतिशत से अधिक हो।'

3.8 **"व्यापार का सामान्य तरीका"** में व्यवसाय के लिए आवश्यक, सामान्य और प्रासंगिक गतिविधियों के लिए शब्द शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। ये वाणिज्यिक लेनदेन की सामान्य प्रथाएं और तौर-तरीके हैं। कानून में, व्यवसाय के सामान्य तरीके में किसी निश्चित व्यवसाय और किसी निश्चित फर्म के सामान्य लेनदेन, तौर-तरीके और प्रथाएं शामिल होती हैं। व्यापार के सामान्य तरीके की अवधि निर्धारित करने के लिए सांकेतिक कारक:

(i) विशेष व्यवसाय के लिए सामान्य या अन्यथा विशिष्ट है (अर्थात् प्रणाली, प्रक्रियाओं, विज्ञापन, स्टाफ प्रशिक्षण, आदि में विशेषताएं)
(ii) लगातार और नियमित है
(iii) महत्वपूर्ण मात्रा में धन की आवश्यकता शामिल है
(iv) व्यापार के लिए आय का एक स्रोत है
(v) संसाधनों का महत्वपूर्ण आवंटन शामिल है
(vi) किसी सेवा या उत्पाद में शामिल है जो ग्राहकों को पेश किया जाता है।

3.9 **"संबंधित पक्ष"** - किसी इकाई को कंपनी से संबंधित माना जाएगा जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 2(1) (यख) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) में परिभाषित है, अर्थात्

(i) ऐसी इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत एक संबंधित पार्टी है; या

(ii) ऐसी इकाई लागू लेखा मानकों के तहत एक संबंधित पार्टी है।

बशर्ते कि:

क) कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर समूह का हिस्सा बनने वाला कोई भी व्यक्ति या इकाई; या

ख) इक्विटी शेयर धारण करने वाला कोई व्यक्ति या कोई इकाई:

i. 1 अप्रैल, 2022 से बीस प्रतिशत या अधिक; या

ii. 1 अप्रैल, 2023 से दस प्रतिशत या अधिक;

कंपनी में या तो सीधे या लाभकारी ब्याज के आधार पर, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के तहत प्रावधान किया गया है, किसी भी समय, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान; संबंधित पार्टी के रूप में समझा जाएगा:"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के अनुसार, संबंधित पार्टी का अर्थ है:

(i) कोई निदेशक या उसका रिश्तेदार;

(ii) कोई प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उसका रिश्तेदार;

(iii) कोई फर्म, जिसमें कोई निदेशक, प्रबंधक या उसका रिश्तेदार भागीदार है;

(iv) कोई निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक या प्रबंधक या रिश्तेदार सदस्य या निदेशक है;

(v) कोई सार्वजनिक कंपनी जिसमें निदेशक या प्रबंधक कोई निदेशक है और अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी चुकता शेयर पूंजी का 2% से अधिक रखता है;

(vi) कोई भी कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक की सलाह, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने का अभ्यस्त है;

(vii) कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या अनुदेश पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का अभ्यस्त है:

बशर्ते कि उप-खंड (vi) और (vii) में कुछ भी पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निर्देशों या अनुदेशों पर लागू नहीं होगा।

(viii) कोई भी कॉर्पोरेट निकाय जो -

क. ऐसी कंपनी की धारिता, सहायक कंपनी या संबद्ध कंपनी;

ख. किसी धारिता कंपनी की सहायक कंपनी जिसके लिए वह एक सहायक कंपनी भी है;

या

ग. किसी निवेश कंपनी या कंपनी के उद्यमकर्ता;

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए, "निवेश करने वाली कंपनी या किसी कंपनी के उद्यमकर्ता" का अर्थ किसी निगमित निकाय से है जिसका कंपनी में निवेश के परिणामस्वरूप कोई कंपनी निगमित निकाय की सहयोगी कंपनी बन जाएगी।

(ix) ऐसी कंपनी या उसके रिश्तेदार की धारिता कंपनी का निदेशक (स्वतंत्र निदेशक के अलावा) या केएमपी।

लेखांकन मानक 18, अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित पार्टी को इस रूप में परिभाषित करता है कि "पार्टियों को संबंधित माना जाता है यदि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी भी समय किसी पार्टी के पास दूसरी पार्टी को नियंत्रित करने या वित्तीय बनाने और/या संचालन निर्णय में दूसरी पार्टी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता होती है।"

3.10 **"संबंधित पार्टी लेनदेन" (आरपीटी)** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) और/या सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 2(1) (यग) में परिकल्पित अनुबंधों, व्यवस्थाओं और लेनदेन सहित ऐसा लेनदेन है, जिसमें संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों का हस्तांतरण शामिल है:

i. 1 अप्रैल, 2022 से कंपनी या उसकी कोई सहायक कंपनी तथा दूसरी ओर कंपनी या उसकी किसी सहायक कंपनी की संबंधित पार्टी; या

ii. कोई कंपनी या उसकी कोई सहायक कंपनी, तथा दूसरी ओर कोई अन्य व्यक्ति या इकाई, जिसका उद्देश्य और प्रभाव कंपनी या उसकी किसी सहायक कंपनी की संबंधित पार्टी को 1 अप्रैल, 2023 से लाभ पहुंचाना है;

इस बात पर लिहाज़ बिना कि क्या इसके लिए कोई कीमत ली जाती है और संबंधित पार्टी के साथ "लेन-देन" को किसी अनुबंध में एकल लेनदेन या लेनदेनों के समूह को शामिल किया गया माना जाएगा:

बशर्ते कि निम्नलिखित संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं होगा:

क) वरियता आधार पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का निर्गम, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन;

ख) सूचीबद्ध इकाई द्वारा निम्नलिखित कॉर्पोरेट कार्रवाइयां जो सभी शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में समान रूप से लागू/ प्रस्तावित की जाती हैं:

i. लाभांश का भुगतान;
ii. प्रतिभूतियों का उपखंड या समेकन;
iii. राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के जरिए प्रतिभूतियां जारी करना;
iv. प्रतिभूतियों की वापस खरीद।

3.11 **"रिश्तेदार"** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में परिभाषित रिश्तेदार से है।

3.12 **"सहायक कंपनी"** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) में परिभाषित सहायक कंपनी से है।

4. संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन

सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 23(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) के अनुसार, लेन-देन करने के लिए या संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेन के किसी भी बाद के संशोधन को इस नीति के अनुसार कंपनी की लेखा-परीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन के लिए या तो की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा या परिचालन द्वारा संकल्प जारी किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा:

क) 1 अप्रैल, 2022 से, कोई संबंधित पार्टी लेनदेन जिसमें कंपनी की सहायक कंपनी एक पार्टी है, लेकिन कंपनी एक पार्टी नहीं है, यदि ऐसे लेनदेन का मूल्य व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया हो या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया गया हो जो कंपनी के अंतिम लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वार्षिक समेकित कारोबार के दस प्रतिशत से अधिक है;

ख) 1 अप्रैल, 2023 से, कोई संबंधित पार्टी लेनदेन, जिसमें किसी कंपनी की सहायक कंपनी एक पार्टी है, लेकिन कंपनी एक पार्टी नहीं है, यदि ऐसे लेनदेन का मूल्य व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया है या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया गया है, जो सहायक कंपनी के अंतिम लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वार्षिक एकल कारोबार के दस प्रतिशत से अधिक है;

लेखा-परीक्षा समिति वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन(नों) के लिए अनुमोदन (सर्वग्राही अनुमोदन सहित) प्रदान कर सकती है जो कंपनी के पिछले लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी के समेकित कारोबार के 50% से अधिक नहीं होगा और इसके बाद गेल का बोर्ड सक्षम प्राधिकारी है। यदि आरपीटी का मूल्य समेकित कारोबार के

50% से अधिक है, तो लेखा-परीक्षा समिति ऐसा लेनदेन करने से पहले बोर्ड को अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगी।

जैसा कि इस नीति में वर्णित है, बोर्ड/ शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अपवाद स्वरूप मामलों में, जहां अनजाने में हुई चूक या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पूर्व अनुमोदन नहीं लिया जाता है, वहां लेखा-परीक्षा समिति इस नीति के अनुसार लेनदेन की पुष्टि कर सकती है।

संबंधित विभागाध्यक्ष, लेखा-परीक्षा समिति ***(तिमाही आधार पर/ सर्वग्राही अनुमोदन के लिए)*** और/या निदेशक मंडल और/या शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, के समक्ष सभी संबंधित पार्टी लेनदेन का एक एजेंडा प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं।

4.1.0 लेखा-परीक्षा समिति का अनुमोदन

4.1.1 लेखा-परीक्षा समिति को उपलब्ध कराए जाने वाले विवरण

सेबी के दिनांक 22.11.2021 के परिपत्र के अनुसार सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2021/662 संबंधित पार्टी लेनदेन करने के लिए लेखा-परीक्षा समिति को निम्नलिखित विवरण/ सूचना प्रदान की जाएगी:

क) प्रस्तावित लेनदेन का प्रकार, भौतिक शर्तें और विवरण;

ख) संबंधित पार्टी का नाम और कंपनी या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उसके मुद्दे या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा) शामिल है;

ग) प्रस्तावित लेनदेन का कार्यकाल (विशेष कार्यकाल निर्दिष्ट किया जाएगा);

घ) प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य;

ङ) तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, जो प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (और किसी सहायक कंपनी को शामिल करने वाले आरपीटी के लिए, पृथक आधार पर सहायक कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर की गई ऐसे प्रतिशत की गणना अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाएगी);

च) यदि लेन-देन किसी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा राशि, अग्रिम या कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए निवेश से संबंधित है:

i. प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में निधियों के स्रोत का विवरण;

ii. जहां कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता, ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा राशि, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए की जाती है,

- ऋणग्रस्तता की प्रकृति;
- निधियों की लागत; तथा
- कार्यकाल;

iii. नियम, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे सुरक्षित हों या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति; तथा

iv. आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधि का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

छ) आरपीटी कंपनी के हित में क्यों है इसका औचित्य;

ज) मूल्यांकन या अन्य बाहरी पार्टी रिपोर्ट की एक प्रति, यदि ऐसी किसी रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है;

झ) प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है;

ञ) कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो।

4.1.2 कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) द्वितीय संशोधन नियम, 2015 के नियम 6क और सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुसार सर्वग्राही अनुमोदन

क. लेखा-परीक्षा समिति निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान कर सकती है:

1. लेन-देन जिनकी प्रकृति **दोहराव** वाली हो।

2. लेखा-परीक्षा समिति कंपनी के सर्वोत्तम हित में ऐसे सर्वग्राही अनुमोदन की **आवश्यकता के औचित्य के लिए** खुद को संतुष्ट करेगी।

3. सर्वग्राही अनुमोदन निर्दिष्ट करेगा:

   (i) संबंधित पार्टी का नाम, लेन-देन की प्रकृति, लेन-देन की अवधि, लेन-देन की अधिकतम राशि जो दर्ज की जा सकती है,

   (ii) सांकेतिक आधार मूल्य/ वर्तमान अनुबंधित मूल्य और मूल्य में भिन्नता के लिए फार्मूला, यदि कोई हो, और

   (iii) ऐसी अन्य शर्तें जैसा लेखा-परीक्षा समिति उचित समझे।

   बशर्ते कि जहां संबंधित पार्टी लेनदेन की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और पूर्वोक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेखा-परीक्षा

समिति ऐसे लेनदेन के लिए सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान कर सकती है, जिसका मूल्य प्रति लेनदेन 1.00 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

ख. लेखा-परीक्षा समिति कम से कम **तिमाही आधार पर** समीक्षा करेगी, कंपनी द्वारा दिए गए प्रत्येक सर्वग्राही अनुमोदन के अनुसार आरपीटी का विवरण दर्ज किया जाएगा।

ग. सर्वग्राही अनुमोदन किसी वित्तीय वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा और अनुमोदन की तारीख से ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नए अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

घ. कंपनी के उपक्रम की बिक्री या निपटान के संबंध में लेनदेन के लिए सर्वग्राही अनुमोदन नहीं किया जाएगा।

4.1.3 लेखा-परीक्षा समिति द्वारा विचार

अनुमोदन करते समय, लेखा-परीक्षा समिति अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार कर सकती है:

क. सभी प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियाँ जिनमें लेन-देन की शर्तें, लेन-देन का व्यावसायिक उद्देश्य, कंपनी और संबंधित पार्टी को होने वाला लाभ शामिल हैं;

ख. क्या संबंधित पार्टी के लेन-देन की शर्तें कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं और लेन-देन करते समय यह स्वतंत्र बिक्री के आधार पर हैं;

ग. कंपनी द्वारा संबंधित पार्टी लेनदेन करने के लिए व्यावसायिक कारण और वैकल्पिक लेनदेन की प्रकृति, यदि कोई हो;

घ. क्या संबंधित पार्टी लेनदेन स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी या कंपनी के किसी निदेशक या केएमपी के लिए हितों का टकराव उत्पन्न करेगी;

ङ. प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को किसी भी संभावित संबंधित पार्टी लेनदेन की लेखा-परीक्षा समिति को नोटिस प्रदान करने के लिए, जिसमें उसके या उसके रिश्तेदार, और लेनदेन के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी शामिल है जिसके लिए लेखा-परीक्षा समिति उचित रूप से अनुरोध कर सकती है। किसी भी संभावित संबंधित पार्टी लेनदेन की सूचना लेखा-परीक्षा समिति को अग्रिम रूप से भेजी जानी चाहिए ताकि उसके पास प्रस्तावित लेनदेन के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने और समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय हो।

च. कोई भी निदेशक या केएमपी जिसका किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन में हितों का संभावित टकराव होता है, किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन की किसी भी चर्चा या अनुमोदन में भाग नहीं लेगा और जब ऐसे लेनदेन पर विचार किया जाता है, तो बैठक के कोरम की उपस्थिति का निर्धारण करने में इसे नहीं गिना जाएगा।

छ. अन्य कोई मामला, जैसा कि लेखा-परीक्षा समिति उचित समझती है।

सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए लेखा-परीक्षा समिति का अनुमोदन आवश्यक है। तथापि, लेन-देन के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में संदर्भित लेनदेन के अलावा, और जहां लेखा-परीक्षा समिति लेनदेन को मंजूरी नहीं देती है, वह बोर्ड को अपनी सिफारिशें देगी।

लेखा-परीक्षा समिति का अनुमोदन केवल संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन करने के संदर्भ में है और बोर्ड और/या शेयरधारकों के अन्य अनुमोदन(नों) जैसा भी मामला हो, कंपनी की नीतियों/ प्रक्रियाओं/ प्रथाओं/ शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि के अनुसार लागू होगा।

4.1.4 **लेखा-परीक्षा समिति के अनुमोदन से छूट:**

क. कंपनी अधिनियम, 2013 **के अनुसार संबंधित पार्टी लेनदेन(नों) के लिए छूट**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित लेनदेन के अलावा किसी धारिता कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच लेन-देन, अर्थात् गेल द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ निम्नलिखित लेनदेन के लिए लेखा-परीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी:

- ऋण देना; ऋण के संबंध में गारंटी/ सुरक्षा/ लेटर ऑफ कंफर्ट; भुगतान/निष्पादन सुरक्षा, गारंटी/सुरक्षा/ लेटर ऑफ कंफर्ट, जो ऋण के संबंध में न हो।
- प्रतिबद्धता/ इक्विटी रिलीज करना।

ख. सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुसार संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए छूट:

(i) दो सरकारी कंपनियों के बीच किए गए लेनदेन;
(ii) किसी धारिता कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किए गए लेनदेन, जिनके खातों को ऐसी धारिता कंपनी के साथ समेकित किया जाता है और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
(iii) सूचीबद्ध धारिता कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच लेनदेन, जिनके खाते ऐसी धारिता कंपनी के साथ समेकित होते हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

4.2.0 बोर्ड और शेयरधारकों का अनुमोदन

4.2.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तहत

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में उल्लिखित निर्दिष्ट संबंधित पार्टी लेनदेन के मामले में, निम्नलिखित के अनुसार संबंधित पार्टी के साथ किसी भी अनुबंध या व्यवस्था करने के लिए बोर्ड और/या शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है:

क. **किसी बैठक में बोर्ड का पूर्वानुमोदन** - जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं है या स्वतंत्र बिक्री के आधार पर नहीं है।

ख. **साधारण संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति** - जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं या स्वतंत्र बिक्री के आधार पर और सीमा के बाहर नहीं हैं।

शेयरधारकों की मंजूरी से छूट:

(i) किसी सरकारी कंपनी द्वारा किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं के संबंध में।

(ii) किसी धारिता कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किए गए लेनदेन, जिनके खातों को ऐसी धारिता कंपनी के साथ समेकित किया जाता है और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के तहत निर्दिष्ट आरपीटी	
	बोर्ड का अनुमोदन	शेयरधारकों का अनुमोदन (समय-सीमा)
क)	किसी भी सामान या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति	कंपनी के कारोबार का 10% या अधिक
ख)	किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना या अन्यथा निपटाना, या खरीदना	कंपनी के निवल मूल्य का 10% या अधिक
ग)	किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना	कंपनी के कारोबार का 10% या अधिक
घ)	किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना	कंपनी के कारोबार का 10% या अधिक

ड.)	माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति	एजेंट की नियुक्ति के मामले में खंड क), ख) और घ) में निर्धारित सीमा के अनुसार
च)	कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी भी कार्यालय या लाभ के स्थान पर ऐसी संबंधित पार्टी की नियुक्ति	2.50 लाख रुपए से अधिक के मासिक पारिश्रमिक पर।
छ)	कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके डेरिवेटिव की सदस्यता का बीमा करना	निवल मूल्य के 1% से अधिक

स्पष्टीकरण:

- उप-खंडों क) से घ) में निर्दिष्ट सीमाएं लेनदेन या किए जाने वाले लेनदेन के लिए या तो व्यक्तिगत रूप से दर्ज किए जाने के लिए लागू होंगी या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ संयुक्त रूप से लागू होंगी।

- कारोबार या निवल मूल्य की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर की जाएगी।

कंपनी का कोई भी सदस्य कंपनी द्वारा किए जाने वाले ऐसे किसी भी अनुबंध या व्यवस्था को मंजूरी देने के लिए ऐसे सामान्य संकल्प पर मतदान नहीं करेगा, यदि ऐसा सदस्य ऐसे अनुबंध या व्यवस्था के लिए संबंधित पार्टी है।

4.2.2 सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 23 के तहत

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार सभी सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन और बाद में सामग्री संशोधनों के लिए सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तथापि, इसे सिफारिश करने के लिए बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जो इनकी शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगा।

छूट:

(i) दो सरकारी कंपनियों के बीच किए गए लेनदेन;
(ii) किसी धारिता कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किए गए लेनदेन जिनके खातों को ऐसी धारिता कंपनी के साथ समेकित किया जाता है और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(iii) सूचीबद्ध धारिता कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच लेनदेन, जिनके खाते ऐसी धारिता कंपनी के साथ समेकित होते हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाते हैं।

कोई भी संबंधित पार्टी ऐसे संकल्प(पों) को मंजूरी देने के लिए मतदान नहीं करेगा चाहे वह इकाई विशेष लेनदेन से संबंधित पार्टी हो या नहीं।

4.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार बोर्ड और शेयरधारकों को प्रदान किए जाने वाले विवरण

4.3.1 संबंधित पार्टी लेनदेन(नों) के अनुमोदन के लिए **बोर्ड** को निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाएगी -

क. संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति;
ख. प्रकृति, अनुबंध की अवधि और अनुबंध या व्यवस्था का विवरण;
ग. मूल्य सहित अनुबंध या व्यवस्था की भौतिक शर्तें, यदि कोई हो;
घ. अनुबंध या व्यवस्था के लिए भुगतान या प्राप्त कोई अग्रिम, यदि कोई हो;
ङ. मूल्य निर्धारण और अन्य वाणिज्यिक शर्तों को निर्धारित करने का तरीका, दोनों को अनुबंध के भाग के रूप में शामिल किया गया और अनुबंध के भाग के रूप में नहीं माना गया;
च. क्या अनुबंध से संबंधित सभी कारकों पर विचार किया गया है, यदि नहीं, तो उन कारकों पर विचार न करने के औचित्य के साथ उन कारकों का विवरण जिन पर विचार नहीं किया गया है; तथा
छ. प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को बोर्ड को किसी भी संभावित संबंधित पार्टी लेनदेन के बारे में नोटिस प्रदान करना होगा जिसमें उसके या उसके रिश्तेदार, और लेनदेन के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी शामिल हो, जिसके लिए बोर्ड उचित रूप से अनुरोध कर सकता है। किसी भी संभावित संबंधित पार्टी लेनदेन की सूचना बोर्ड को अग्रिम रूप से दी जानी चाहिए ताकि उसके पास प्रस्तावित लेनदेन के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने और समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय हो।
ज. कोई भी निदेशक या केएमपी जिसका किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन में हितों का संभावित टकराव होता है, किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन की किसी भी चर्चा या अनुमोदन में भाग नहीं लेगा और ऐसे लेनदेन पर विचार किए जाने के दौरान इसकी गणना बैठक के कोरम की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए नहीं की जाएगी।
झ. प्रस्तावित लेनदेन पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी।

4.3.2 सेबी के दिनांक 22.11.2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2021/662 के अनुसार संबंधित पार्टी लेनदेन के अनुमोदन के लिए **शेयरधारकों** को निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाएगी:

क. संबंधित पार्टी का नाम;
ख. संबंधित निदेशक या केएमपी का नाम, यदि कोई हो;
ग. संबंध की प्रकृति;
घ. प्रकृति, भौतिक शर्तें, मौद्रिक मूल्य और संविदा या व्यवस्था का विवरण;
ङ. कंपनी के प्रबंधन द्वारा लेखा-परीक्षा समिति को प्रदान की गई जानकारी का सार जैसा कि खंड 4.1.1 में निर्दिष्ट है;
च. इस बात का औचित्य कि प्रस्तावित लेनदेन कंपनी के हित में क्यों है;
छ. जहां लेनदेन किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा राशि, अग्रिम या कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए या दिए गए निवेश से संबंधित है, तो खंड 4.1.1 के तहत निर्दिष्ट विवरण;
ज. यह वक्तव्य कि मूल्यांकन या अन्य बाहरी रिपोर्ट, यदि कोई हो, जिस पर प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में कंपनी द्वारा भरोसा किया गया है, को शेयरधारकों के पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा;
झ. प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है;
ञ. प्रस्तावित प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए सदस्यों के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी।

4.4 सेबी एलओडीआर विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुमोदन प्रणाली का सार

लेन-देन(नों) का विवरण	स्वीकृति प्राधिकारी
सभी संबंधित पार्टी लेनदेन और सामग्री संशोधन सहित कोई भी बाद का संशोधन	लेखा-परीक्षा समिति।
उपर्युक्त 4.2.1 पर आरपीटी जो व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं हैं या स्वतंत्र बिक्री के आधार पर नहीं हैं या दोनों (समय-सीमा से कम)	लेखा-परीक्षा समिति द्वारा बोर्ड को अनुमोदन और सिफारिश। बोर्ड द्वारा अनुमोदन।
उपर्युक्त 4.2.1 पर आरपीटी जो व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं हैं या स्वतंत्र बिक्री के आधार पर नहीं हैं या दोनों (समय-सीमा से परे)	लेखा-परीक्षा समिति द्वारा बोर्ड को अनुमोदन और सिफारिश। बोर्ड द्वारा शेयरधारकों को अनुमोदन और

उपर्युक्त 4.2.2. पर **सामग्री आरपीटी**	सिफारिश। शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन।

4.5 संबंधित पार्टी लेनदेन का अनुसमर्थन

क. यदि संबंधित पार्टी लेनदेन करने के लिए लेखा-परीक्षा समिति/ बोर्ड/ शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति संभव नहीं है, तो संबंधित पार्टी लेनदेन की संबंधित पार्टी लेनदेन करने के 3 (तीन) महीने के भीतर लेखा-परीक्षा समिति/ बोर्ड/ शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा पुष्टि की जाएगी।

ख. यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर संबंधित पार्टी लेनदेन की पुष्टि नहीं की जाती है, तो ऐसा अनुबंध या व्यवस्था लेखा-परीक्षा समिति/ बोर्ड/ शेयरधारकों के विकल्प पर शून्य हो जाएगी, और यदि अनुबंध या व्यवस्था संबंधित पार्टी के किसी निदेशक के साथ की गई है, या किसी अन्य निदेशक द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित निदेशक कंपनी को उसके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे।

ग. किसी भी मामले में जहां या तो लेखा-परीक्षा समिति/ बोर्ड/ शेयरधारक किसी संबंधित पार्टी लेनदेन की पुष्टि नहीं करने का निर्णय लेते हैं जो अनुमोदन के बिना शुरू किया गया है, तो वह अतिरिक्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे सकता है जो केवल लेनदेन को तत्काल बंद करने, या लेनदेन में संशोधन करने तक ही सीमित नहीं होगा ताकि इसे अनुसमर्थन के लिए स्वीकार्य बनाया जा सके। संबंधित पार्टी लेनदेन की किसी भी समीक्षा के संबंध में, लेखा-परीक्षा समिति/ बोर्ड/ शेयरधारकों को कंपनी के सर्वोत्तम हित में इस नीति की किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को संशोधित करने या छोड़ने का अधिकार है।

घ. यदि कोई लेन-देन, जो एक करोड़ रुपए से अधिक न हो, कंपनी के निदेशक या अधिकारी द्वारा लेखा-परीक्षा समिति की मंजूरी प्राप्त किए बिना किया जाता है और लेनदेन की तारीख से तीन महीने के भीतर लेखा-परीक्षा समिति द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है, तो ऐसा लेनदेन लेखा-परीक्षा समिति के विकल्प पर अमान्य हो जाएगा और यदि लेनदेन संबंधित पार्टी के किसी निदेशक द्वारा किया गया है या किसी अन्य निदेशक द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित निदेशक कंपनी को हुए किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा।

4.6 प्रकटीकरण

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार बोर्ड/ शेयरधारकों के अनुमोदन से संबंधित पार्टियों के साथ किए गए प्रत्येक अनुबंध या व्यवस्था, जो स्वतंत्र बिक्री आधार पर नहीं है, को बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसे अनुबंध या व्यवस्था को शेयरधारकों को शामिल करने के औचित्य के साथ संदर्भित किया जाएगा।

ख. स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए जाने वाले कॉरपोरेट शासन पर अनुपालन रिपोर्ट के साथ सभी सामग्री संबंधी पार्टी लेनदेन का विवरण का तिमाही आधार पर खुलासा किया जाएगा।

ग. कंपनी अपनी वेबसाइट पर संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति का खुलासा करेगी और वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब लिंक प्रदान किया जाएगा।

घ. सभी संबंधित पार्टियों के नाम, संबंधों की प्रकृति और सभी संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण लागू लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरण में प्रकट किए जाने चाहिए।

ङ. कंपनी किसी भी संबंधित पार्टी के साथ सभी अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण देते हुए एक या एक से अधिक रजिस्टर रखेगी, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

च. कंपनी समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करेगी, और समय-समय पर संशोधित सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 23(9) के अनुसार इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी।

5. संशोधन

नीति में शामिल कानूनी ढांचे के नियमों और विनियमों में बदलाव के मामले में सीएमडी नीति में संशोधन कर सकते हैं। बोर्ड के पास इस नीति के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने, किसी भी प्रावधान को नए प्रावधान से बदलने या इस नीति को पूरी तरह से नई नीति से बदलने की शक्ति होगी।

नीति की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा हर तीन वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी और तदनुसार इसे अद्यतन किया जाएगा।